संख्या–4065ए / 9–आ–1–99.99 वि0199

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 4 सितम्बर, 1999

विषय :विकास प्राधिकरणों की आवंटियों तथा अन्य के ऊपर बकाये की धनराशि को भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति विगत वर्षों में चिंता का कारण बनी है। इसका कारण जहां एक तरफ विकास प्राधिकरणों द्वारा अनिस्तारित सम्पतियों का निस्तारण न किया जाना है, वहीं दूसरी ओर विकास प्राधिकरणों द्वारा बकाये की धनराशि की वसूली की दिशा में पर्याप्त कार्यवाही न किया जाना भी है। कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनानुसार विकास प्राधिकरणों की काफी धनराशि आवंटियों तथा अन्य के ऊपर बकाया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही तत्परता के साथ किया जाना नितान्त आवश्यक है।

2. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि जहां एक तरफ अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से किया जाय, वहीं विकास प्राधिकरणों का यह भी दायित्व है, वे विभिन्न ोतों से प्राप्त होने वाली बकाया धनराशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस हेतु उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–40 में अंकित प्राविधानों के अनुसार बकाये की धनराशि को भू–राजस्व के बकाये के रूप में जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल कराया जा सकता है। अतएव आप ऐसे सभी देयकों, जो अन्यथा नहीं वसूले जा पा रहे हैं अथवा सुगमता से नहीं वसूले जा सकते हैं, को इन प्राविधानों के अन्तर्गत भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूलने की कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु रिकवरी प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व एक नोटिस समाचार–पत्र के माध्यम से जारी किया जाये, जिसमें बकाया का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया जाय कि निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में रिकवरी प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जायेगा।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–4065A(1) / 9–आ–1. तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सदस्य, राजस्व परिषद (श्री वी. एन. चन्ना) उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके अर्द्ध.शा.पत्र सं0–139 / नि0 सं0–1999 दिनांक 16 जुलाई, 1999 के संदर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राम वृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

बकाया देयों की भू–राजस्व की भाँति वसूली

1. विकास प्राधिकरण का नाम
2. आलोच्य माह

3. ***1999–2000 के अन्तर्गत***

(क)	प्रेषित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर0सी0)	(संख्या)
(ख)	प्रेषित आर0सी0 की कुल धनराशि	(रु0 लाख) .
(ग)	वसूल की गयी आर0सी0	(संख्या)
(घ)	वसूल की गयी आर0सी0 की कुल धनराशि	(रु0 लाख) .

4. ***2000–01 के अन्तर्गत आलोच्य माह तक***

(क)	प्रेषित आर0सी0	(संख्या)
(ख)	प्रेषित आर0सी0 की कुल धनराशि	(रु0 लाख) .
(ग)	वसूल की गयी आर0सी0	(संख्या)
(घ)	वसूल की गयी आर0सी0 की कुल धनराशि	(रु0 लाख)
(च)	लम्बित आर0सी0	(संख्या)
(छ)	लम्बित आर0सी0 की कुल धनराशि	(रु0 लाख) .